न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

(35)

निगरानी प्रकरण क्र0........../2016

निग 228-II-16

अशोक कुमार मिश्रा तनय रामायण प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम मैदानी तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0 ----आवेदक

विरुद्ध

शासन म0प्र0 ----अनावेदक

दिनाँक 22-1-16 को श्री अरविन्द पाण्डे अभि0 द्वारा प्रस्तुत।
22-1-16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश कलेक्टर रीवा जिला रीवा म0प्र0 के खसरा क्रमांक 45/अ-1/स्व0निग0/2005-06 जो आदेश दिनांक 06.01.2016 मे पारित।

मान्यवर,

पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 06.01.16 सर्वथा विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय ने जो नोटिस धारा 50 के अधीन भेजा था, उस नोटिस के विपरीत तथा मामले के विवाद बिन्दु के बाहर जाकर जिस प्रकार प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है कतई कायम रखे जाने योग्य नही है, विशेष रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर विचार नही किया कि नोटिस पर क्या बिन्दु वर्णित थे जबकि नोटिस के अनुसार स्व0 प्रेरणा निगरानी का प्रकरण चलेगा कि नही यह मुख्य बिन्दु विचारणीय था और विवाद का बिन्दु यह था कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय मे जो प्रकरण चला था वह पत्रावली उपलब्ध नही हो रही है।

Annexix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 228 – दो /2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
22–1–16	आवेदक के अभिभाषक उपस्थित है। उनके तर्क सुने गये। प्रकरण आदेशार्थ प्रस्तुत हो। सदस्य	
3–2–16	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करते हुये उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ यह निगरानी कलेक्टर जिला रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 45/अ–1/2005–06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 6–1–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि कलेक्टर रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी का मूल प्रकरण तलब किये बिना न्यायिक प्रक्रिया से हटकर आदेश पारित किया है। कलेक्टर ने केवल रीडर एंव खंड लेखक के स्पष्टीकरण लेकर गलत आदेश पारित किया है जबकि इसी भूमि पर कलेक्टर ने स्वयं सोलवेंशी जारी की है एंव आवेदक को भूमिस्वामी माना है। स्वमेव निगरानी में अतिविलम्ब से	

R 228 IV/16

कार्यवाही की गई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला रीवा ने प्रकरण कमांक 13-अ-1/1996-97 में पारित आदेश दिनांक 19-8-1997 से आवेदक को ग्राम मैदानी स्थित भूमि सर्वे नंबर 295/1 रकबा 3.92 एकड़, 3/4 के अंश भाग 0.58 एकड़, सर्वे नंबर 295/5 रकबा 0.11, 1/2 ए. , 295/6 रकबा 0.5, 3/4 ए. एंव 295/7 रकबा 0.08 1/2 एकड़ , 295/8 रकबा 11. 1/2 एकड़ कुल रकबा 0.95, 1/4 एकड़ पर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 57 (1) के अंतर्गत भूमिस्वामी घोषित करते हुये आवेदक के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये है। कलेक्टर रीवा ने इस आदेश के विरूद्ध वर्ष 2005-06 में स्वमेव निगरानी कमांक 45 अ-1/05-06 पंजीबद्ध की एंव आदेश दिनांक 8-8-2005 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19-8-97 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग के समक्ष अपील कमांक 334/04-05 दायर होने पर आदेश दिनांक 13-12-2005 से कलेक्टर का आदेश दिनांक 8-8-2005 निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु वापिस हुआ। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी होने पर

R

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 228 – दो /2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
---	---	

प्र0क0 594–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 18–4–11 से निगरानी निरस्त हुई। परिणामतः कलेक्टर रीवा ने स्वमेव निगरानी कमांक 45 अ–1/05–06 पुर्नजीवित कर आदेश दिनांक 6–1–16 पारित करते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19–8–97 को निरस्त कर दिया। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन पर ज्ञात होता है कि कलेक्टर रीवा ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 19–8–97 के विरूद्ध 08 वर्ष वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर अंतिम आदेश 6–1–16 को अर्थात 19 वर्ष के अंतराल में पारित करके आवेदक के स्वामित्व पर अंकित चली आ रही भूमि को मध्य प्रदेश शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये हैं। विचार योग्य है कि क्या किसी भूमिस्वामी के स्वत्व पर अंकित भूमि को 08 वर्ष के अंतराल वाद स्वमेव निगरानी दर्ज कर 19 वर्ष वाद शासकीय घोषित की जा सकती है ?

1. आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या. विरूद्ध म0प्र0राज्य 2013 रा.नि. 8 में माननीय उच्च न्यायालय व्दारा न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है कि भू राजस्व संहिता, 1959 धारा–50 – स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण

R 228 II/16

शक्तियों का प्रयोग – पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लंघन के विषय में जानकारी में कब आया – 180 दिवस से वाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

2. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–धारा 50– जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि–वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष अयुक्तियुक्त है।

परन्तु कलेक्टर रीवा ने इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब आवेदक ने कलेक्टर के समक्ष पक्ष रखते हुये बताया है कि प्रश्नाधीन भूमियां आवेदक के पिता ने संहिता लागू होने के पूर्व यानि 2–10–59 के पूर्व के भूमिस्वामी से क्रय की थी एंव मौके पर मकान बनाकर कास्तकारी करते आये, उसके वाद आवेदक कास्तकारी करते आ रहा है परन्तु पूर्व भूमिस्वामी का नाम खसरों में लिखा होने से उसके विरूद्ध चल मध्य प्रदेश कृषि जोत उच्चतम सीमा अधिनियम के अंतर्गत वाद विचारित भूमि अतिशेष मानी जाकर शासन की दर्ज कर दी गई, जब कि पहले आवेदक के पिता एंव वाद में आवेदक वाद विचारित भूमियों का भूमिस्वामी है, परन्तु कलेक्टर रीवा ने इन तथ्यों

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
---	---	

की जांच नहीं की है । कलेक्टर रीवा को अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर का प्रकरण क्रमांक 13–अ–1/1996–97 शोध करने पर प्राप्त नहीं हुआ है जबकि उनके अधीनस्थ कर्मचारी प्रकरण चलने , आदेश दिनांक 19–8–97 पारित होने एंव राजस्व अभिलेखों में अमल करने के तथ्य की पुष्टि कर रहे है। इसके वाद भी कलेक्टर रीवा व्दारा आदेश दिनांक 19–8–97 को फर्जी मानकर आवेदक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चली आ रही भूमि को 19 वर्ष वाद आदेश दिनांक 6–1–16 पारित करके शासकीय घोषित करना नियमानुसार नहीं माना जा सकता, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश वास्तविकता पर आधारित न होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 45 अ–1/2005–06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी 2016 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है परिणामतः अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर व्दारा प्रकरण क्रमांक 13–अ–1/1996–97 में पारित आदेश दिनांक 19–8–97 यथावत् रहता है।

सदस्य